प्रेस नोट थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर दिनांक 25.01.2025

गोतस्करी करने के आरोप में 01 नफर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा पशु तस्करी के अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी बांसगांव के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक बांसगांव के नेतृत्व में उ0नि0 नन्दलाल यादव मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 627/2024 धारा 3/5ए/8 उ0प्र0 गोवध निवारण अधिनियम से संबंधित वांछित अभियुक्त मोहम्मद कैश को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 04.10.2024 को थाना स्थानीय की पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान बांसगांव की तरफ से आ रही पिकअप को चेक करने हेतु रोका गया तो पिकअप में बैठे अभियुक्तगण पीछे से उतरकर भाग गये तथा पिकअप में बैठे अन्य 02 अभियुक्तों को 02 राशि गोवंश व घटना में प्रयुक्त पिकअप वाहन के साथ गिरफ्तार किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

मोहम्मद कैश पुत्र स्व0 मुन्नू निवासी थुन्ही थाना झंगहा जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0स0 627/2024 धारा- 3/5ए/8 उ0प्र0 गोवध निवारण अधिनियम थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी की टीम-

1. उ0नि0 नन्दलाल यादव थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 शिवम सिहं थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर
3. कां0 कमलेश कुमार सिंह थाना बासंगांव जनपद गोरखपुर
4. कां0 विवेक यादव थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर